

विधेयक का संक्षिप्त विश्लेषण

संविधान 115वां संशोधन विधेयक, 2011 (जीएसटी)

संविधान (एक सौ पन्द्रहवां) संशोधन विधेयक, 2011 22 मार्च, 2011 को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को 29 मार्च, 2011 को वित्त स्थायी समिति (चेयरमैन श्री यशवंत सिन्हा) को विचारार्थ भेजा गया था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- ◆ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को शुरू करने के लिए यह विधेयक संविधान में संशोधन की मांग करता है।
- ◆ यह विधेयक संसद एवं राज्य विधानसभा दोनों को जीएसटी के संदर्भ में कानून बनाने की अनुमति देता है। संसद के पास आयात एवं अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी वसूली का एकमात्र अधिकार रहेगा।
- ◆ यह विधेयक जीएसटी के संदर्भ में सुझावों को पेश करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों, केन्द्रीय वित्त मंत्री, एवं केन्द्रीय राजस्व राज्य मंत्री से समाहित जीएसटी काउंसिल का गठन करता है।
- ◆ यह विधेयक जीएसटी के संदर्भ में राज्यों के बीच अथवा राज्यों व केन्द्र के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का गठन करता है। अथॉरिटी के आदेशों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
- ◆ यह विधेयक पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानव उपभोग के लिए मादक पेय सहित, कुछ वस्तुओं को जीएसटी से छूट देता है।

हाल के संक्षिप्त विश्लेषण:

परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व नियम, 2011
24 अप्रैल, 2012

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011
23 अप्रैल, 2012

प्रमुख मुद्दे एवं विश्लेषण

- ◆ जीएसटी काउंसिल सुसंगत कर दरों के सुझाव देगा, एवं इन दरों से सम्बंधित विवाद डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी द्वारा निपटाए जायेंगे (सर्वोच्च न्यायालय में अपील के साथ)। यह संरचना, जिसमें कार्यकारी और न्यायायिक निकाय कर की दरों का निर्धारण करती हैं, विधानमंडल के अधिकारक्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं।
- ◆ यह विधेयक केन्द्र एवं राज्यों को जीएसटी से सम्बंधित कानून बनाने का समान अधिकार देता है (संसद के कानून द्वारा राज्य के कानून की अवहेलना किये बिना)
- ◆ जीएसटी काउंसिल सभी निर्णय "सर्वसम्मति" द्वारा लेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी व्याख्या किस रूप में की जाए, बहुमत अथवा एकमत।
- ◆ कुछ उपयोग की वस्तुओं का जीएसटी से बाहर होना तेहरवें वित्त कमीशन एवं राजस्व विभाग के सुझावों के विपरीत है।
- ◆ इस विधेयक में संवैधानिक रूप से एक "केन्द्रीय वित्त मंत्री" व "केन्द्रीय राजस्व राज्य मंत्री" की जरूरत है। इससे सरकार एवं राष्ट्र की आवश्यकतानुसार मंत्री परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री के लचीलेपन में कमी हो सकती है।

Vivake Prasad
vivake@prsindia.org

24 मई, 2012

भाग अ: विधेयक की मुख्य विशेषताएँ¹

संदर्भ

केन्द्र एवं राज्य दोनों द्वारा माल और सेवाओं पर कर लगाया जाता है। इन करों में उत्पाद कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, एवं चुंगी शामिल हैं। संविधान के अनुसार, इनमें से कुछ कर केन्द्र व राज्यों दोनों द्वारा, जबकि अन्य दोनों में से एक द्वारा वसूले जाते हैं। राज्यों द्वारा लगाई गई कर दरें विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती हैं। वर्षों से, कराधान की मौजूदा प्रणाली को सुसंगत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्पाद के लिए वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की शुरुआत 1986 में केन्द्र द्वारा की गई थी (पहले मॉडवैट (MODVAT) के रूप में एवं बाद में सेनवैट (CENVAT) के रूप में), और बाद में राज्यों द्वारा। अब सभी राज्यों ने राज्य बिक्री कर को बदल कर वैट (VAT) को अपना लिया है। वैट को आरंभ करने से पूर्व, उत्पादकों को 'बहुतायत कराधान' (उपयोग की गई आगतों एवं उत्पादित माल दोनों के ऊपर कर) के बोझ का सामना करना पड़ता था। वैट के तहत इस समस्या को संबोधित करने की मांग की गई थी क्योंकि आगतों पर पहले से अदा कर उत्पादित माल के कर से घटा दिया जाता है।²

राज्य वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी चर्चा पत्र बताता है कि हालांकि वैट सफल रहा है पर कुछ कमियां अभी भी हैं। इनमें से कई केन्द्रीय करों, सीमा शुल्कों, राज्य करों जैसे कि विलास कर, मनोरंजन कर और सेवा करों को वैट से बाहर रखा गया है।² इन समस्याओं के समाधान हेतु जीएसटी को लागू करने का प्रावधान किया गया है। यह कर वैट एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों की जगह ले लेगा जो वर्तमान में उगाहे जाते हैं एवं एक सुसंगत प्रणाली के तहत शामिल कर लेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी पत्र के अनुसार, जीएसटी के फलस्वरूप और अधिक प्रशासनिक कुशलता, सरल एवं बढ़ा हुआ अनुपालन एवं प्रवर्तन, अंतरराज्यीय भिन्नताओं के कारण आर्थिक विकृति में कमी, एवं राज्यों के बीच सरलता से जानकारी साझा होगी।³

मुख्य विशेषताएँ

यह विधेयक संविधान में संशोधन कर संसद एवं राज्य विधानमंडल को जीएसटी को आरंभ करने हेतु कानून बनाने के लिए सक्षम बनाता है। केन्द्र एवं राज्यों को जीएसटी के संचालन पर सुझाव देने के लिए यह एक जीएसटी काउंसिल का गठन करता है। राज्यों के बीच अथवा राज्यों एवं केन्द्र के बीच में विवादों के निपटारे के लिए यह एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का भी गठन करता है।

माल एवं सेवा कर की उगाही

- यह विधेयक जीएसटी को माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति के ऊपर किसी कर के रूप में परिभाषित करता है।⁴
- यह विधेयक केन्द्रीय सूची एवं राज्य सूची, और साथ ही अनुच्छेद 268A में शामिल कई करों को हटा देता है, जो सेवाओं पर कर वसूली का प्रावधान रखते हैं। इस विधेयक के तहत, ये कर जीएसटी द्वारा शामिल किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक जीएसटी के संबंध में कानूनों को बनाने के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को अनुमति देता है। समवर्ती सूची की वस्तुओं के विपरीत, जीएसटी पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून का संसद द्वारा बनाये गये कानूनों द्वारा उल्लंघन नहीं होगा।
- आयात एवं अंतरराज्यीय व्यापार के ऊपर कर केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किये जायेंगे। केन्द्र एवं राज्यों के बीच इन करों का वितरण संसद द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- निम्नलिखित वस्तुएं जीएसटी के कार्यक्षेत्र से छूटी हुई हैं: (क) कच्चा पेट्रोलियम, (ख) उच्च गति डीजल, (ग) पेट्रोल, (घ) प्राकृतिक गैस, (ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन, एवं (च) मानव उपभोग के लिए शराब। आयतों एवं अंतरराज्यीय व्यापार के मामले को छोड़कर, राज्यों के पास इन वस्तुओं के ऊपर कर वसूली का अधिकार रहेगा। इन वस्तुओं के विपरीत, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद को जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं है। हालांकि, केन्द्रीय सरकार इनके ऊपर उत्पाद शुल्क तब भी लगा सकती है।
- राज्य विधानमंडल के पास पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं द्वारा एकत्रित सीमा तक कुछ करों को उगाहने का अधिकार रहेगा। इनमें चुंगी, आतिथ्य कर एवं मनोरंजन कर शामिल हैं।
- केन्द्रीय सूची में उल्लिखित स्टैम्प शुल्क केन्द्र द्वारा उगाहे जायेंगे एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किये जायेंगे।

जीएसटी काउंसिल

- इस विधेयक के अधिनियमित होने के 60 दिनों के भीतर एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जायेगी। यह जीएसटी काउंसिल निम्न विषयों पर केन्द्र एवं राज्यों को सुझाव देगा: (क) वे कर जिन्हें शामिल किया जा सकता है, (ख) माल एवं सेवाएं जिन्हें छूट प्राप्त हो सकती है, (ग) जीएसटी के आवेदन के लिए कुल बिक्री की सीमा, (घ) जीएसटी की दरें, एवं (ङ) अन्य सम्बंधित मामले।

¹ जीएसटी निम्न को शामिल करेगा: सेनवैट (CENVAT); सेवा कर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क; अतिरिक्त उत्पाद शुल्क; औषधीय एवं प्रसाधन तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क; सेवा कर; अतिरिक्त सीमा शुल्क (प्रतिकारी शुल्क अथवा सीवीडी); सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी); केन्द्रीय अधिशुल्क एवं उपकर; राज्य वैट (VAT); राज्य बिक्री कर; स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया गया आतिथ्य कर; विलास कर; लॉटरी, सट्टेबाजी एवं जुए के ऊपर कर; विज्ञापन के ऊपर कर; माल एवं सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित राज्य उपकर एवं अधिशुल्क; एवं स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया गया प्रवेश कर।

- यह विधेयक कहता है कि सुझाव देते समय जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की सुसंगत संरचना तथा माल एवं सेवाओं के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता द्वारा निर्देशित होगा।
- जीएसटी काउंसिल में (क) केन्द्रीय वित्त मंत्री, (ख) केन्द्रीय राज्य राजस्व प्रभारी मंत्री, एवं (ग) प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा कराधान प्रभारी मंत्री (अथवा कोई अन्य मनोनीत मंत्री) शामिल होंगे।
- जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति के साथ लिए जायेंगे।

जीएसटी डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी

- यह विधेयक संसद को एक जीएसटी डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का अधिकार देता है। यह अथॉरिटी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए विवादों का निपटारा करेगा। ये विवाद जीएसटी काउंसिल के सुझावों से हटकर होने चाहियें जो कि (क) राज्य या केन्द्र को राजस्व की हानि पहुँचाते हैं, अथवा (ख) जीएसटी की सुसंगत संरचना को प्रभावित करते हैं। यह अथॉरिटी एक चेयरपर्सन (भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) एवं दो अन्य सदस्यों से युक्त होगा।
- अथॉरिटी के आदेशों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

भाग ब: प्रमुख मुद्दे और उनकी समीक्षा

जीएसटी को आरंभ करने का प्रभाव

‘कर के ऊपर कर’ के प्रभाव में कमी

वैट के आरंभ होने से पूर्व, उत्पादकों को ‘कर के ऊपर कर’ के बोझ का सामना करना पड़ता था। उत्पादक आगत वस्तुओं को प्राप्त करते थे जिनके ऊपर करों का भुगतान किया गया होता था। उत्पादन के पश्चात, उत्पाद के मूल्य पर कर लगाया जाता था। इसके फलस्वरूप, आगतों पर पहले से अदा कर पर पुनः उत्पाद की अवस्था पर कर लगाया जाता था। यह ‘कर के ऊपर कर’ का बोझ उत्पादन की कड़ी में आगे की ओर चलता रहता था, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं के ऊपर कर का अधिक बोझ रहता था एवं कम प्रतियोगी निर्यात होते थे। आगत कर ‘सेट-ऑफ़’ (आगतों के ऊपर किये कर भुगतान के लिए जमा) को प्रदान कराने के लिए वैट की शुरुआत ने इस प्रभाव को कम कर दिया। प्रभावी रूप से, कर का भुगतान कुल उत्पाद मूल्य पर नहीं होता है, परंतु उस विशिष्ट अवस्था पर उत्पाद के जमा मूल्य के ऊपर होता है। चूंकि सेट-ऑफ़ केवल कर के भुगतान पर उपलब्ध होते हैं, अनुपालन के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि होती है जैसे उस कड़ी में प्रत्येक व्यक्ति सुनिश्चित करता है कि पिछले व्यक्ति ने अपने उत्पाद जमा मूल्य पर कर का भुगतान कर दिया है।² हालांकि, मौजूदा वैट का दौर अपूर्ण है। वैट के भीतर कई कर शामिल नहीं हैं।¹ इन करों पर ‘करके ऊपर कर’ का बोझ जारी है। कुछ क्षेत्रों को भी इसमें छूट प्राप्त है।³ छूट प्राप्त क्षेत्र आगतों पर दिए गये वैट के लिए सेट-ऑफ़ का दावा नहीं कर सकते हैं, जो ‘कर के ऊपर कर’ की प्रणाली की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य वैट के तहत, सेनवैट एवं आगतों पर भुगतान किये गये सेवा कर के लिए आगत कर सेट-ऑफ़ नहीं दिए गये हैं, जिसके कारण भी ‘कर के ऊपर कर’ का प्रभाव होता है। जीएसटी की शुरुआत, राज्य एवं केंद्रीय क्षेत्रधिकारों में सेट-ऑफ़ के साथ वैट में सभी करों एवं सभी माल एवं सेवाओं को शामिल करके, ‘कर के ऊपर कर’ की प्रणाली को समाप्त कर देगी।²

सरलीकरण एवं सुसंगता

संविधान के तहत, राज्यों के पास सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। बहुत से मामलों में एक उत्पाद को एक वस्तु या सेवा के रूप में वर्गीकृत करना कठिन होता है, खासकर तकनीक में हाल की उन्नतियों के कारण। इसके अतिरिक्त, कुछ माल एवं सेवाएं एकल उत्पाद के रूप में बंधी होती हैं। माल एवं सेवाओं के बीच में इन्हें अलग करना इन उत्पादों के कराधान को जटिल बनाता है।³ जीएसटी के अंतर्गत, इस फर्क की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

छूट एवं अनेक कर दरों की मौजूदगी (सभी उत्पादों पर, सभी राज्यों में भिन्न दरें हैं) ने एक जटिल प्रणाली को जन्म दिया है। परिणामस्वरूप अंतरराज्यीय भिन्नताओं से आर्थिक टेढ़ापन, सरकारों के बीच जानकारी साझा करने में कठिनाई, कम अनुपालन, विवादों में वृद्धि, एवं उच्च प्रशासनिक लागतें आ जाती हैं।³ सभी माल एवं सेवाओं के प्रति कर दरों के सामंजस्य के लिए एक प्रणाली ऐसे टेढ़ेपन को कम कर देगी।

सभी राज्यों में कर राजस्व का पुनःवितरण

वर्तमान में, कुछ कर राज्यों द्वारा, कुछ केन्द्र द्वारा, एवं कुछ दोनों द्वारा उगाहे जाते हैं। जीएसटी का आरंभ इन व्यवस्थाओं को बदल देगा एवं सभी राज्यों और साथ ही केन्द्र एवं राज्यों के बीच में कर राजस्व के पुनःवितरण की ओर ले जा सकता है।

¹ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, एवं केन्द्रीय अधिशुल्क एवं उपकारों सहित, कई केन्द्रीय कर सेनवैट (CENVAT) के तहत आवरित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सेनवैट (CENVAT) केवल उत्पादन के चरण में लागू होता है, एवं माल की खुदरा बिक्री तक नहीं फैला हुआ होता है। राज्य वैट (VAT) में निम्न शामिल नहीं हैं: विलास कर; लॉटरी, सट्टेबाजी एवं जुए के ऊपर कर; विज्ञापन के ऊपर कर; राज्य उपकर एवं अधिशुल्क; एवं प्रवेश कर।² कुछ अपवादों को छोड़ कर (मनोरंजन कर, आतिथ्य कर एवं पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा उगाहा जाने वाला प्रवेश कर), इन करों को जीएसटी के तहत शामिल किया जायेगा।

³ सेनवैट (CENVAT) एवं सेवा कर के तहत छूटों में निम्न शामिल हैं: तेल एवं गैस उत्पादन एवं खनन, कृषि, थोक एवं खुदरा व्यापार, रियल एस्टेट निर्माण, एवं अन्य सेवाएं। राज्य वैट (VAT) के तहत, सभी सेवाएं, अचल संपत्ति, कृषि, तेल एवं गैस उत्पादन, एवं खनन को छूट प्राप्त है।

संघीय ढांचा एवं संविधान की बुनियादी संरचना

धारा 2 संघीय ढांचा संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक माना गया है।⁴ संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं: 'केन्द्रीय सूची' (संसद का विशिष्ट कार्यक्षेत्र), 'राज्य सूची' (राज्य विधानमंडल का कार्यक्षेत्र) एवं 'समवर्ती सूची' (दोनों)। समवर्ती सूची के विषयों पर, जब संसद द्वारा बनाये कानूनों एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये कानूनों के बीच में असंगति होती है, तब संसद द्वारा बनाये गये कानून प्रभावी होंगे। यह संरचना राज्य सूची को छोड़कर सभी मामलों में संसद के विधायी अधिकार को सर्वोच्च दर्जा देती है। यह विधेयक केन्द्र एवं राज्यों दोनों को जीएसटी से सम्बंधित कानून बनाने का समान अधिकार देता है (संसद के कानून द्वारा राज्य के कानून की अवहेलना किये बिना)। प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र एवं राज्यों द्वारा वैधानिक अधिकार के प्रयोग की प्रकृति में परिवर्तन संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित करता है। इस मुद्दे पर, जीएसटी पर टास्क फोर्स ने राय दी कि "केन्द्र एवं राज्यों द्वारा एक साथ थोपी गई दोहरी उगाही, परंतु स्वतंत्र रूप से" (विधेयक अनुसार जीएसटी का रूप) सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगा।⁵

विधायी, न्यायिक, एवं कार्यकारी निकायों के बीच संभावित संघर्ष

धारा 12 संविधान के तहत, करों को लगाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल के पास होता है।⁶ जीएसटी कांउंसिल, हालांकि, जीएसटी के दौरान करों के सामंजस्य की दृष्टि से इन्हें देखेगा। यह विधेयक एक संरचना का निर्माण करता है जिसके माध्यम से एक कार्यकारी निकाय (जीएसटी कांउंसिल) कर की दरों के सुझाव देता है, एवं न्यायिक निकाय (जीएसटी डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी एवं सर्वोच्च न्यायालय) कर की दरें तय करता है यदि किसी राज्य का जीएसटी कांउंसिल के सुझावों से भिन्नता के कारण कोई विवाद हो। इससे विधानमंडल के कर दरों के निर्धारण के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायालय कार्यकारी को परामर्श अथवा एक नीति के ज्ञान, सत्यता अथवा उपयुक्तता के ऊपर निर्णय नहीं दे सकते हैं। वे केवल उसकी वैधता पर विचार कर सकते हैं।⁷

"सर्वसम्मति" द्वारा जीएसटी कांउंसिल के निर्णय

धारा 12 जीएसटी के सभी निर्णय सभी उपस्थित सदस्यों की "सर्वसम्मति" से लिए जायेंगे। हालांकि, यह विधेयक सर्वसम्मति को परिभाषित नहीं करता है। पी. रामनाथ अय्यर का संक्षिप्त विधि शब्दकोष सर्वसम्मति को "सभी सम्बंधित व्यक्तियों की ओर से राय पर सहमति" के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि, ब्लैक का विधि शब्दकोष सर्वसम्मति को "एक आम सहमति" के रूप में परिभाषित करता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोष की परिभाषा में "अधिकांश राय" शामिल है। सर्वसम्मति के एकमत के बराबर नहीं होने के मामले में, एक राज्य को जीएसटी कांउंसिल के सुझावों के पालन के लिए बाधित किया जा सकता है भले ही वह उसके साथ सहमत न हो।

जीएसटी से कुछ वस्तुओं को छूट

धारा 14 यह विधेयक स्पष्ट रूप से निम्न वस्तुओं को जीएसटी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखता है: (क) कच्चा पेट्रोलियम, (ख) उच्च गति डीज़ल, (ग) पेट्रोल, (घ) प्राकृतिक गैस, (ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन, एवं (च) मानव उपभोग के लिए शराब। तेहरवें वित्त कमीशन एवं राजस्व विभाग दोनों ने यह सुझाव की है कि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के कार्यक्षेत्र के भीतर शामिल किये जायें। पेट्रोलियम उत्पाद कई उत्पादों एवं सेवाओं के लिए आगत हैं, एवं उनका जीएसटी से बाहर होना 'कर के ऊपर कर' की प्रणाली की ओर ले जायेगा।⁸ तेहरवें वित्त कमीशन ने पेट्रोलियम उत्पादों, तंबाकू, एवं मादक पेय के लिए दोहरी उगाही प्रणाली लाने का सुझाव दिया है। इससे राज्यों एवं केन्द्र को अतिरिक्त उत्पाद कर उगाहने की अनुमति देते हुए ऐसे उत्पादों को जीएसटी के अधीन करना आवश्यक हो जायेगा।⁹ इस विधेयक के तहत, केवल तंबाकू के उत्पाद ही ऐसी प्रणाली के अधीन होंगे (केन्द्र उत्पाद कर उगाह सकता है)।

मंत्रियों की परिभाषा

धारा 12 संविधान प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के अलावा किन्हीं अन्य विशिष्ट मंत्रियों का उल्लेख नहीं करता। विधेयक स्पष्ट रूप से "केन्द्रीय वित्त मंत्री" एवं "केन्द्रीय राज्य राजस्व प्रभारी मंत्री" को जीएसटी कांउंसिल के सदस्यों के रूप में नामित करता है। तब, संवैधानिक रूप से इन कार्यालयों की जरूरत होगी। इससे सरकार एवं राष्ट्र की आवश्यकतानुसार मंत्री परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री के लचीलेपन में कमी हो सकती है।

¹ इस विश्लेषण को संविधान (115) संशोधन विधेयक, 2011 के आधार पर लिखा गया है, जिसे वित्त मंत्री ने 22 मार्च, 2011 को लोक सभा में पेश किया था

² भारत में माल एवं सेवा कर के ऊपर प्रथम चर्चा पत्र, राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति, नवंबर 2009

³ पोद्दार, सत्या एवं एहितशाम अहमद, जीएसटी सुधार एवं भारत में अंतर-सरकारी विचार, कार्यकारी पत्र संख्या1/2009-DEA

⁴ एस आर बोम्मई बनाम भारतीय संघ (1994); कुलदीप नय्यर बनाम भारतीय संघ (2006)

⁵ माल एवं सेवाओं के ऊपर टास्क फोर्स की रिपोर्ट, तेहरवां वित्त कमीशन, दिसंबर 2009

⁶ संविधान के अनुच्छेद 109, 114, 198, 204

⁷ फिल्मोत्सव निदेशालय एवं अन्य बनाम गौरव अश्विन जैन एवं अन्य (2007). AIR 2007 SC 1640

⁸ माल एवं सेवा कर के ऊपर प्रथम चर्चा पत्र के ऊपर टिप्पणियाँ (2009)। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

⁹ अध्याय 5, "माल एवं सेवा कर", अंक 1: रिपोर्ट तेहरवां वित्त कमीशन, दिसंबर 2009

यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गयी थी। हिन्दी में इसका अनुवाद किया गया है। हिन्दी रूपान्तर में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।